मध्यप्रदेश शासन,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 8-2/2016/41-2: राज्य शासन संलग्न परिशिष्ट अनुसार -"मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी) नियम, 2017" जारी करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 8-2/2016/41-2 : भोपाल, 03 जुलाई 2017

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री के निज सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल,
5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग,
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष,
11. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
12. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
13. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल,
14. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल,
15. प्रबंध संचालक, ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन, कॉर्पोरेशन लिमि0 भोपाल,
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल,
17. राज्य सूचना विज्ञान एवं अधिकारी, एन.आई.सी. भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

:: अधिसूचना ::

क्रमांक एफ 8–2/2016/इकतालिस(2) भोपाल, दिनांक 03 जुलाई 2017

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6 तथा 6–क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–1–2007–छप्पन दिनांक 12.07.2011 को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** .–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21);

(ख) **''प्राधिकृत अभिकर्ता''** से अभिप्रेत है, प्राधिकृत सेवा प्रदाता का कोई अभिकर्ता तथा इसमें सम्मिलित है किसी इलैक्ट्रानिक रुप से सक्षम कियोस्क अथवा फ्रन्ट ऑफिस प्रचालक जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपयोगकर्ताओं को कम्प्यूटर संसाधनों या किसी संचार युक्ति की सहायता से लोक सेवा प्रदान करने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(ग) **''प्राधिकृत सेवा प्रदाता''** से अभिप्रेत है, किसी निगमित निकाय को सम्मिलित करते हुए कोई अभिकरण या सरकार को कोई अभिकरण जिसको इन नियमों के अनुसरण में संचालक, इलैक्ट्रानिक सेवा डिलीवरी द्वारा इलैक्ट्रानिक रुप से सेवा प्रदान करने वाली किसी पद्धति को स्थापित करने तथा उसके प्रबंधन हेतु प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) **''निगमित निकाय''** से अभिप्रेत है, कोई कम्पनी और इसमें सम्मिलित है कोई फर्म, एकल स्वत्वधारी अथवा व्यष्टि–संगम जो वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में लगा हो;

(प्रसाद ढवले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग